

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न. 461 / 503

दिनांक :- 14.6.16

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री प्रहलाद राय माली [लिंक न. 461] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, झुंझुनूं - [2151] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 30/03/2010 से 27/09/2010 तक * दिवस

कुल 182 दिवस

उक्त कुल 182 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री प्रहलाद राय माली की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक :- प3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न. 461 / 503

दिनांक :- 14.6.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, झुंझुनूं
2. कोषाधिकारी झुंझुनूं
3. श्री /श्रीमती / सुश्री प्रहलाद राय माली [461] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, झुंझुनूं
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(डॉ मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)